[2019] 6 एस. सी. आर. 910

एसएमटी। पी. लीलावती (डी) एलआरएस द्वारा

वी.

वी. शंकरनारायण राव (डी) एलआरएस द्वारा

(2008 की सिविल अपील सं. 1099)

अप्रैल 09,2019

[एल. नागेश्वर राव और एम. आर. शाह, जे. जे.]

मुकदमा-विभाजन-अपीलार्थी-मूल वादी ने अपने दिवंगत पिता की सभी अनुसूचित संपत्तियों में एक चौथाई हिस्से का दावा किया-वादी

आरोप लगाया कि प्रतिवादी-उसके भाइयों ने उसे 1/4 वां हिस्सा देने से इनकार कर दिया, वादी ने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया-निचली अदालत ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि मुकदमा अनुसूची संपत्तियां पक्षों के पिता की स्व-अर्जित संपत्तियां नहीं थीं और वही प्रतिवादियों की संपत्तियां थीं Nos.1 से 3; अनुसूची II में उल्लिखित बैंक जमा भी प्रतिवादी संख्या की व्यक्तिगत संपत्तियां थीं। 1 3 को-उच्च न्यायालय ने 26.02.1999 दिनांकित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया

निचली अदालत के फैसले में कहा गया कि हालांकि संपत्तियां मूल प्रतिवादियों के नाम पर थीं, लेकिन पिता और प्रतिवादियों के बीच लेनदेन बेनामी प्रकृति के थे-सुप्रीम कोर्ट

इसके बाद, रिमांड पर, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की और कहा कि संपत्तियां बेनामी प्रकृति की नहीं थीं

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या के नाम पर अधिग्रहित वाद संपत्तियाँ। 1 3 प्रकृति में बेनामी थे-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों के संदर्भ में कहा है कि धन का स्रोत कभी भी एकमात्र विचार नहीं हो सकता है और यह केवल प्रासंगिक विचारों में से एक है, लेकिन चरित्र में निर्धारक नहीं है।

तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि प्रतिवादी Nos.1 से 3 के नाम पर वाद संपत्तियों की खरीद बेनामी प्रकृति की थी-वादी परिवार के लिए और उसकी ओर से वाद संपत्तियों को खरीदने के लिए पिता के इरादे को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा था, जो प्रतिवादी Nos.1 से 3 के नाम पर खरीदे गए थे-देर से

वादी के पिता ने भी उसे और उसके पति को एक आवासीय घर खरीदने में मदद की थी-इसी तरह, दिवंगत पिता का इरादा प्रतिवादी Nos.1 को 3 बेटों को वित्तीय सहायता देना था और उन्हें संपत्तियों की खरीद में मदद करना था -

910 एसएमटी। पी. लीलावती (डी) बनाम एल. आर. एस. वी. शंकरनारायण राव (डी) एलआरएस द्वारा

मुक़दमे की संपत्तियों की खरीद को बेनामी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वादी को मुक़दमे की संपत्तियों में एक चौथाई हिस्से का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है-बेनामी लेनदेन (वसूली के अधिकार का निषेध)

संपत्ति) अध्यादेश, 1988-बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

परिवार के लिए और उसकी ओर से मुकदमा संपत्तियों को खरीदने के पिता के इरादे को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा, जिन्हें प्रतिवादी संख्या के नाम पर खरीदा गया था। 1 3 तक। यह ध्यान देने योग्य है कि वादी-बेटी ने कदम नहीं रखा है गवाह पेटी में और यह कि वादी की ओर से साक्ष्य उसके पति द्वारा दिया गया है, जिसे संयुक्त परिवार के संबंध में एक बाहरी व्यक्ति कहा जा सकता है। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड में आया है कि वादी और उसके पति का रखरखाव वादी के दिवंगत पिता द्वारा किया गया था। वादी और उसके पति को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई थी।

बैंगलोर में आवासीय घर। इसलिए वादी के पिता, अपनी बेटी को आश्रय प्रदान किया और, जैसा कि ऊपर देखा गया है, बैंगलोर में आवासीय घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी दी। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि उनके दिवंगत पिता

यहाँ तक कि शेयर प्रमाण पत्र भी खरीदे और उनकी बेटी-मूल वादी को भी निश्चित संख्या में शेयर दिए गए। इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके दिवंगत पिता ने भी प्रतिवादी संख्या को वित्तीय सहायता दी होगी। 1 3 बेटों को दिया और संपत्ति खरीदने में उनकी मदद की। इसलिए, उनके दिवंगत पिता का इरादा [2019] 6 एस. सी. आर. के नाम से संपत्तियों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने का है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूट संपत्तियों की खरीद-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) प्रतिवादी संख्या के नाम पर। 1 3 को प्रकृति में बेनामी नहीं कहा जा सकता है। उनके दिवंगत पिता का इरादा अपने बेटों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था, न कि उससे आगे। वह। लेन-देन को बेनामी लेन-देन के रूप में स्थापित करने के लिए अन्य सामग्री में से कोई भी नहीं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त में अभिनिर्धारित किया गया है।

निर्णय संतुष्ट होते हैं, सिवाय इसके कि उनके दिवंगत पिता द्वारा कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए, मुकदमे की संपत्तियों की खरीद-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) प्रतिवादी संख्या के नाम पर। 1 3 को बेनामी लेनदेन नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, जैसा कि उचित रूप से देखा गया है और निचली अदालत द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, वादी को कोई अधिकार नहीं है मुक़दमे की संपत्तियों में एक चौथाई हिस्से का दावा करें-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) जिसे बेटों द्वारा उनके नाम पर अलग-अलग खरीदा गया था।

बिक्री विलेख। [पैरा 10] [923-सी-एच; 924-ए-डी]

बिनापानी पॉल बनाम। प्रतिमा घोष (2007) 6 एससीसी 100:

[2007] 5 एस. सी. आर. 946; जय दयाल पोद्दार बनाम। बीबी हजरा ( ) (1974) 1 एस. सी. सी. 3: [1974] 1 एस. सी. आर. 70; वल्लियम्मल

वी. सुब्रमण्यम (2004) 7 एस. सी. सी. 233 [2004] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 966 पर भरोसा किया। ठाकुर भीम सिंह बनाम। ठाकुर कान सिंह (1980) 3 एससीसी

72 : [1980] 2 एस. सी. आर. 628 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

[1980] 2 एससीआर 628

पै

रा 6.4

संदर्भित किया गया है

[2007] 5 एससीआर 946

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.2

[1974] 1 एससीआर 70

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9.1

[2004] 3 पूरक। एससीआर 966 पर भरोसा किया गया

पै

रा 9.2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1099

2008 .

उच्च न्यायालय के 06.09.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1991 के आर. एफ. ए. No.220 में बैंगलोर में कर्नाटक का।

एसएमटी। पी. लीलावती (डी) बनाम एल. आर. एस. वी. शंकरनारायण राव (डी) एल. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रचिता हेरिमाथ, चिनमय देश पांडे, गीत आहूजा, वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

जी. वी. चंद्रशेखर, एन. के. वर्मा, सुश्री अंशा वर्मा, सुश्री अंजना चंद्रशेखर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

06.09.2007 1991 के आर. एफ. ए. सं. 220 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल वादी श्रीमती द्वारा दायर उक्त प्रथम अपील को खारिज कर दिया गया। पी. लीलावती (अब मृत और अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करती हैं) ने मूल वादी श्रीमती के कानूनी उत्तराधिकारियों के मुकदमे को खारिज करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की है। पी. लीलावती ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

वह श्रीमती। पी. लीलावती ने बैंगलोर में 14 वें अतिरिक्त सिटी सिविल जज के न्यायालय में 1980 का मूल मुकदमा संख्या 1248 स्थापित किया। मूल प्रतिवादी-वी. शंकरनारायण राव (अब मृत और अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व) और दो अन्य विभाजन के लिए और वादी के एक चौथाई हिस्से की वसूली के लिए वादी की अनुसूचित संपत्तियों में। कि मूल वादी श्रीमती। पी. लीलावती और मूल प्रतिवादी स्वर्गीय जी. वेंकट राव की बहन और भाई और बेटी और बेटे हैं, जिनकी मृत्यु 08.10.1974 पर हुई थी।

2.1 यह मूल वादी की ओर से मामला था कि उसके पिता स्वर्गीय जी. वेंकट राव एक एस्टेट एजेंट थे और वह कर रहे थे।

अपने नाम पर और अपने बेटों के नाम पर भी धन उधार देने का व्यवसाय करते थे और वह अपने बेटों के नाम पर संपत्ति खरीद रहे थे, हालांकि उनके पिता उन संपत्तियों का वित्तपोषण कर रहे थे। वादी के अनुसार, उनकी मृत्यु के समय जी. वेंकट राव के पास एक बड़ी संपत्ति थी जिसमें वाद अनुसूची में दर्शाई गई अचल संपत्तियां, बैंक जमा आदि शामिल हैं। मूल वादी की ओर से यह मामला था कि वाद अनुसूची संपत्तियां ऐसी संयुक्त पारिवारिक संपत्तियां थीं और/या उन्हें वास्तव में उनके दिवंगत पिता जी. वेंकट राव द्वारा खरीदा गया था और इसे उनके पिता द्वारा वित्त पोषित किया गया था। कि, यह मूल वादी की ओर से मामला था कि वादी सभी उक्त संपत्तियों [2019] 6 एस. सी. आर. में एक चौथाई हिस्से का हकदार था।

अपने पिता से संबंधित। यह मूल वादी की ओर से मामला था कि क्योंकि प्रतिवादियों ने उसे एक चौथाई हिस्सा देने से इनकार कर दिया और एक टालमटोल जवाब दिया, जिसने वादी को अपने हिस्से को लिखित रूप में देने और जल्द से जल्द निपटारे की मांग करने के लिए प्रेरित किया। कि, इसके बाद उन्हें विभाजन और सौहार्दपूर्ण समझौते की मांग करते हुए 18.07.1975 दिनांकित एक नोटिस जारी किया गया। लेकिन आरोपी मामले को निपटाने में विफल रहे हैं। इसलिए, वादी ने विभाजन के लिए और वाद अनुसूची संपत्तियों में अपने एक चौथाई हिस्से की वसूली के लिए उपरोक्त मुकदमा दायर किया।

3. कि मूल प्रतिवादियों ने लिखित बयान दायर करके मुकदमे का विरोध किया। यह मूल प्रतिवादियों की ओर से मामला था कि

अभियोग अनुसूची संपत्तियाँ विशेष रूप से प्रतिवादियों के अपने व्यक्तिगत अधिकारों में स्वामित्व में हैं। अभियोग अनुसूची की वस्तु संख्या 1 अर्थात परिसर संख्या 32/1, आगा अब्बास अली रोड प्रतिवादी संख्या 3 की व्यक्तिगत संपत्ति है। अनुसूची 1 की वस्तु (बी) प्रतिवादी संख्या 2 की है और वस्तु (सी) प्रतिवादी संख्या 1 की है। ये संपत्तियाँ कभी भी उनके दिवंगत पिता जी. वेंकट राव की नहीं थीं और ये उनकी संपत्ति का हिस्सा नहीं हैं। आइटम नं. पर आते हैं। II, तीन सावधि जमा व्यक्तिगत थीं

प्रत्येक प्रतिवादी की संपत्ति। सिंडिकेट बैंक, छावनी शाखा में मृतक और प्रतिवादी संख्या 2 के संयुक्त नामों पर एक संयुक्त बचत बैंक खाता था। एक छोटी सी राशि अभी भी पड़ी है उक्त खाते में। किसी भी तरह से उक्त खाते में Rs.10,000/- का कोई बकाया नहीं है। मद सं। III, मृतक पर कोई बकाया और देय ऋण नहीं था। 939 शेयर मृतक और वादी के संयुक्त नामों पर थे। 840 शेयर मृतक और प्रतिवादी नंबर 1 के नाम पर थे। अन्य 840 शेयर मृतक और प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर थे। 949 शेयर मृतक और प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर थे। वादी के पास बड़ा हिस्सा था जिसे मृतक ने अपने और वादी के नाम पर खरीदा था। स्वर्गीय जी. वेंकट राव सिविल स्टेशन, बैंगलोर में एक वकील के कार्यालय से जुड़े मुख्य क्लर्क थे। सेवानिवृत्ति पर, मृतक ने सबसे अनौपचारिक तरीके से एक संपत्ति एजेंट के रूप में काम किया और काम किया। किसी भी तरह से, वह धन उधार देने का व्यवसाय नहीं कर रहा था और न ही उसने संपत्ति खरीदी जैसा कि शिकायत में बताया गया है। मृतक किसी भी समय संपन्न परिस्थितियों में नहीं था। मृतक की मृत्यु के समय उसकी ऋण शोधन क्षमता बहुत कम थी और उसने कोई आभूषण नहीं छोड़ा था। यहां तक कि परिसर संख्या 138, आगा अब्बास अली रोड, बैंगलोर एस. एम. टी. में उपलब्ध फर्नीचर भी।

पी. लीलावती (डी) बनाम एल. आर. एस. वी. शंकरनारायण राव (डी) एल. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

यह उल्लेखनीय नहीं था क्योंकि बचे हुए टुकड़ों को उंगली की नोक पर गिना जा सकता था। पूरे पकड़ प्रभाव का मूल्य इससे अधिक नहीं होगा।

150 नंबर वाला घर, वीरपिल्लई स्ट्रीट, उक्त और अपने पिता की वित्तीय सहायता के साथ। वादी ने अपने पति के साथ सक्रिय मिलीभगत से तिरुपति गए मृतक और प्रतिवादी नंबर 2 की अनुपस्थिति में घर नंबर 138, आगा अब्बास अली रोड में तोड़फोड़ की। और मद्रास। वादी ने इस समय के बारे में 1963 में कहीं गलत लाभ कमाया था। वादी अपनी शादी के बाद केवल तीन महीने तक अपने पति के साथ चिकमंगलूर में रही। इसके बाद वह अपने पति के साथ बैंगलोर आई और लगभग छह साल तक अपने पिता के साथ रही। वादी विशेष विशेषाधिकार का आनंद ले रही है और उसे, उसके पति और उसके बच्चों को लगभग नियमित रूप से लाभ दिए जाते हैं। उसके पिता के अलावा, प्रतिवादी नंबर 2 भी काफी खर्च पर वादी के परिवार की जरूरतों की देखभाल कर रहा था। सभी आरोपी किराए के मकानों में रहते हैं। बेनामी लेन-देन (वसूली के अधिकार का निषेध) की धारा 2 के प्रावधानों को देखते हुए, शिकायत अनुसूची में वस्तु ए से सी के संबंध में वादी का दावा मान्य नहीं है।

संपत्ति) अध्यादेश, 1988, वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है और उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इसलिए मुकदमा लागत के साथ खारिज किया जा सकता है।

3.1 कि निचली अदालत ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

1) क्या वादी यह साबित करता है कि अनुसूची I से V में वर्णित वाद अनुसूची अचल और चल संपत्तियां स्व-अर्जित संपत्तियां हैं?

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2) क्या मुक़दमा अनुसूची I (a) खाली स्थान जिसमें संख्या 32/1 है,

आगा अब्बास अली रोड, सिविल स्टेशन, बैंगलोर स्व-अधिग्रहित है।

प्रतिवादी संख्या 3 की संपत्ति?

3) क्या मुक़दमा अनुसूची I (b) संख्या 32/1 वाली खाली जगह है,

आगा अब्बास अली रोड, सिविल स्टेशन। बैंगलोर, क्या प्रतिवादी संख्या 2 की स्व-अर्जित संपत्ति है?

4) क्या वाद अनुसूची I (c) संपत्ति स्व-अर्जित है

प्रतिवादी संख्या 1 की संपत्ति?

5) क्या प्रतिवादी यह साबित करते हैं कि मुकदमा अनुसूची II बैंक

जमा प्रत्येक प्रतिवादी की व्यक्तिगत संपत्ति है?

6) क्या प्रतिवादी यह साबित करते हैं कि वहाँ फर्नीचर था

परिसर संख्या 138/ए (नई संख्या 6) आर्मस्ट्रॉन्ग रोड, सिविल स्टेशन, बैंगलोर में वाद अनुसूची 5 के पृष्ठ 5 में आइटम 10,12,19,20,21 और 22 के रूप में उल्लिखित, जिसका शायद ही कोई मूल्य है?

7) क्या वादी विभाजन और अधिकार का हकदार है

सूट अनुसूची संपत्तियों में उसका 1/4 हिस्सा?

9) वादी किस राहत का हकदार है? अतिरिक्त मुद्दाः क्या वादी का दावा धारा 2 द्वारा वर्जित है

बेनामी लेन-देन (संपत्ति की वसूली के अधिकार का निषेध) अध्यादेश, 1988 जैसा कि आरोप लगाया गया है?

3.2 कि विद्वत विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए वाद को खारिज कर दिया कि वाद अनुसूची संपत्तियाँ लाते की स्व-अर्जित संपत्तियाँ नहीं हैं।

जी. वेंकट राव; सूट आइटम संख्या। I (a), I (b) और I (c) मूल प्रतिवादी संख्या के गुण हैं। 1 3 तक; शिकायत की अनुसूची II में उल्लिखित बैंक जमा प्रतिवादी संख्या की व्यक्तिगत संपत्तियां हैं। 1 3 तक। विद्वत विचारण न्यायालय ने आगे अवलोकन किया और अभिनिर्धारित किया कि अनुसूची V में उल्लिखित चल संपत्तियों के संबंध में सूट आइटम संख्या के रूप में। 10 , 12 , 19 , 20 , 21 और 22, वादी एक

चौथाई हिस्से का हकदार है और इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय ने वादी को एक चौथाई हिस्से की वसूली के लिए डिक्री प्रदान की, जो कि संख्या 138/ए (नई संख्या 6) आर्मस्ट्रॉन्ग रोड, सिविल स्टेशन, बैंगलोर वाले परिसर में उपलब्ध Rs.400/- (एस. आई. सी.) के लायक नहीं था।

4. विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे को खारिज करने और एस. एम. टी. को अभिनिर्धारित करने वाले निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

पी. लीलावती (डी) बनाम एल. आर. एस. वी. शंकरनारायण राव (डी) एल. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

वाद अनुसूची संपत्तियाँ स्वर्गीय जी. वेंकट राव की स्व-अर्जित संपत्तियाँ नहीं थीं और वे प्रतिवादी संख्या की संपत्तियाँ थीं। 1 3 के लिए, मूल वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को यह मानते हुए दरकिनार कर दिया कि सभी संपत्तियां मूल प्रतिवादियों के नाम पर थीं, लेकिन विचाराधीन लेन-देन बेनामी प्रकृति के थे और मामले के उस दृष्टिकोण से, वादी को उसमें 1/4 हिस्सा विरासत में मिला था। 4.1 उच्च न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति देने वाले दिनांक 26.02.1999 के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना और

4.2 कि 11.05.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और यह देखते हुए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से मूल्यांकन और/या विचार नहीं किया है कि क्या विचाराधीन लेन-देन बेनामी है या नहीं।

4.3 कि इसके बाद, रिमांड पर, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले और आदेश द्वारा फैसले की पुष्टि करने वाली अपील को खारिज कर दिया है और

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे को खारिज करते हुए पारित डिक्री, विशेष रूप से यह देखते हुए कि प्रतिवादी संख्या के पक्ष में खरीद/लेनदेन। 1 को

3 वाद अनुसूची संपत्तियों के संबंध में बेनामी लेनदेन नहीं थे और वे प्रतिवादी संख्या की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं। 1 3 और, इसलिए, वादी वाद अनुसूची संपत्तियों में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा और कहा कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के प्रावधान लागू होने में पूर्वव्यापी हैं।

5. अपील को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और मुकदमे को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि करते हुए, मूल वादी (अब मृतक और कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व) ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने और मुकदमे को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि करने में गंभीर गलती की है।

6.1 अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने भौतिक रूप से गलती की है।

वादी के मामले को स्वीकार नहीं करने में कि वाद की संपत्तियों को प्रतिवादी संख्या के नाम पर अर्जित किया गया है। 1 3 प्रकृति में बेनामी थे।

6.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई कि मुकदमे में अधिग्रहित संपत्तियाँ प्रतिवादी संख्या के नाम। 1 3 प्रकृति में बेनामी नहीं थे, बल्कि प्रतिवादी संख्या की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं। 1 3 अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत हैं।

6.3 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सबूत में आया है कि बिक्री पर विचार किया गया है। वादी के पिता और प्रतिवादी संख्या द्वारा भुगतान किया गया था। 1 3 तक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. डब्ल्यू. 1 ने स्वीकार किया कि उसने रुपये की राशि उधार ली थी। 1,030 / - अपने पिता स्वर्गीय जी. वेंकट राव और स्वर्गीय जी. वेंकट राव से

सूट संपत्तियों का अधिग्रहण-वस्तु संख्या। 1 (क) से 1 (ग) तक का भुगतान स्वर्गीय जी. वेंकट राव ने किया था। 6.4 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि

सूट संपत्तियों की खरीद राशि-वस्तु संख्या। 1 (a) से 1 (c) आया

स्वर्गीय जी. वेंकट राव, इसके बाद, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि वादी को यह स्थापित करने के लिए और सबूत देने की आवश्यकता थी कि वाद संपत्तियों का अधिग्रहण निम्नलिखित के लाभ के लिए किया गया थाः

ठाकुर भीम सिंह बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। ठाकुर कान सिंह (1980) 3 एस. सी. सी. 72, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, यदि यह साबित हो जाता है कि खरीद का धन आया था। उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसके पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित की गई थी, खरीद को प्रथम दृष्टया उस व्यक्ति के लाभ के लिए माना जाता है जिसने खरीद के पैसे की आपूर्ति की थी, जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत न हो।

एसएमटी। पी. लीलावती (डी) बनाम एल. आर. एस. वी. शंकरनारायण राव (डी) एल. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

6.5 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने अवलोकन करने और परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि वादी संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं था।

6.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और दोनों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाए

न्यायालयों को नीचे और परिणामस्वरूप वाद की डिक्री करने के लिए।

7. मूल प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री जी. वी. चंद्रशेखर ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए कहा है कि

दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष रिकॉर्डिंग, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है कि मुकदमा गुण-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) बेनामी लेनदेन नहीं थे, साक्ष्य के मूल्यांकन पर हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, केवल इसलिए कि पिता द्वारा वाद संपत्तियों को खरीदते समय प्रतिवादियों को कुछ वित्तीय सहायता दी गई होगी, ऐसा नहीं होगा।

बेनामी लेन-देन बन जाता है, जब तक कि विपरीत इरादा स्थापित और साबित न हो जाए।

7.1 प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि, वर्तमान मामले में, तीनों वाद संपत्तियों को प्रतिवादी संख्या द्वारा खरीदा गया था। 1 3 को पंजीकृत बिक्री विलेखों द्वारा और कुछ वित्तीय सहायता पिता स्वर्गीय जी. वेंकट राव द्वारा दी गई थी, जो वादी को भी दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड पर आया है कि वादी ने शादी की है

पीडब्लू-1 वर्ष 1954 में; वादी का विवाह स्वर्गीय जी. वेंकट राव द्वारा किया गया था; और वादी के विवाह के बाद, स्वर्गीय जी. वेंकट राव और प्रतिवादी संख्या। 1 3 लोग एक साथ रह रहे थे। यह है।

प्रस्तुत किया कि यह भी रिकॉर्ड में आया है कि स्वर्गीय जी. वेंकट राव ने वादी को घर संख्या 150, वीरपिल्लई स्ट्रीट, सिविल स्टेशन, बैंगलोर के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर साक्ष्य से भी पता चलता है कि विवाह के बाद, वादी और उसके पति को उसके पिता द्वारा 10 साल की अवधि के लिए रखा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, स्व. जी. वेंकट राव का संपत्ति अधिग्रहण के लिए अपने बेटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का इरादा अपने बेटों को आश्रय प्रदान करना था और इसलिए, वाद संपत्तियों का अधिग्रहण-प्रतिवादी द्वारा आइटम I (a) से I (c), उनके पिता स्व. जी. वेंकट द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से।

राव ने कोई बेनामी लेनदेन नहीं किया।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वादी की ओर से कहा गया कि मुकदमे की संपत्तियों की खरीद बेनामी लेनदेन थी क्योंकि बिक्री का भुगतान उनके पिता स्वर्गीय जी. वेंकट राव ने किया था। उपरोक्त उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय ने कहा है कि वादी स्वर्गीय जी. वेंकट के इरादे को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहा है। राव प्रतिवादी संख्या के नाम पर मुकदमा संपत्तियों को खरीदने के लिए। 1 3 को परिवार के लिए और उसकी ओर से खरीदना था और इसलिए, लेनदेन को बेनामी प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है।

8.1 इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और केवल इसलिए कि पिता द्वारा बेटों को संपत्ति खरीदने के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी गई है, क्या लेनदेन को कहा जा सकता है -

प्रकृति में बेनामी?

एसएमटी। पी. लीलावती (डी) बनाम एल. आर. एस. वी. शंकरनारायण राव (डी) एल. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

9. उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते समय, बेनामी लेनदेन/बेनामी प्रकृति के लेनदेन पर इस न्यायालय के कुछ निर्णय हैंः संदर्भित करने की आवश्यकता हैः

9.1 ठाकुर भीम सिंह (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विशेष लेन-देन को बेनामी मानते हुए, खरीद राशि का योगदान करने वाले व्यक्ति का इरादा लेन-देन की प्रकृति का निर्धारण करता है। इस न्यायालय द्वारा आगे यह देखा गया है कि खरीद राशि का योगदान करने वाले व्यक्ति का इरादा क्या है, यह आसपास के आधार पर तय किया जाना है।

परिस्थिति; पक्षों के संबंध; लेन-देन और उनके बाद के आचरण आदि को लाने में उनकी कार्रवाई को नियंत्रित करने वाले उद्देश्य। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने जय दयाल पोद्दार बनाम में इस न्यायालय के पहले के निर्णय पर विचार किया। बीबी हाजरा (एम. एस. टी.) (1974) 1 एस. सी. सी. 3, विशेष रूप से पैरा 6, और उसके बाद पैरा 17 और पैरा 18 में संक्षेपित किया गया। उस फैसले के पैरा 17 और 18 इस प्रकार हैंः

" 17. के मामले में लॉर्ड मैकमिलन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत

मनमोहन दास [AIR 1931 PC 175: 134 आईसी 66 9: 1931 एएलजे

550] जय दयाल पोद्दार बनाम में इस न्यायालय द्वारा इसका पालन किया गया है। बीबी हाजरा (एमएसटी) [(1974) 1 एससीसी 3: (1974) 2 एस. सी. आर. 90] जहाँ जे. सरकारिया ने इस प्रकार टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 6, पैरा 6)

" यह अच्छी तरह से तय है कि यह साबित करने का बोझ कि एक विशेष

बिक्री बेनामी है और प्रत्यक्ष खरीदार वास्तविक मालिक नहीं है, हमेशा उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो ऐसा होने का दावा करता है। यह बोझ एक निश्चित चरित्र के कानूनी साक्ष्य को जोड़कर सख्ती से निष्पादित किया जाना चाहिए जो या तो सीधे बेनामी के तथ्य को साबित करेगा या परिस्थितियों को अनियंत्रित और यथोचित रूप से स्थापित करेगा।

उस तथ्य का निष्कर्ष निकालना। बेनामी का सार संबंधित पक्ष या पक्षों का इरादा है; और अक्सर नहीं, इस तरह के इरादे को एक मोटे घूंघट में लपेटा जाता है जिसे आसानी से छेदा नहीं जा सकता है। लेकिन इस तरह की कठिनाइयाँ उस व्यक्ति को राहत नहीं देती हैं जो लेन-देन को उस गंभीर दायित्व के किसी भी हिस्से का बेनामी होने का दावा करता है जो उस पर निर्भर करता है और न ही सबूत के विकल्प के रूप में केवल अनुमानों या अनुमानों की स्वीकृति को उचित ठहराता है। कारण यह है कि एक विलेख एक गंभीर दस्तावेज है जिसे काफी विचार-विमर्श के बाद तैयार और निष्पादित किया जाता है, और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। विलेख में खरीदार या हस्तांतरणकर्ता के रूप में, अपने पक्ष में प्रारंभिक धारणा के साथ शुरू होता है कि प्रत्यक्ष स्थिति ही वास्तविक स्थिति है। हालांकि सवाल यह है कि क्या [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
विशेष बिक्री बेनामी है या नहीं, यह काफी हद तक एक तथ्य है, और इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए, सभी स्थितियों में समान रूप से लागू होने वाले किसी भी पूर्ण सूत्र या एसिड परीक्षण को निर्धारित नहीं किया जा सकता है; फिर भी संभावनाओं को तौलने और प्रासंगिक संकेतों को इकट्ठा करने के लिए, अदालतें आमतौर पर इन परिस्थितियों से निर्देशित होती हैंः (1) जिस स्रोत से खरीद का पैसा आया; (2) खरीद के बाद संपत्ति की प्रकृति और कब्जा; (3) लेन-देन को बेनामी रंग देने का उद्देश्य, यदि कोई हो; (4) दावेदार और कथित बेनामीदार के बीच पक्षों की स्थिति और संबंध, यदि कोई हो, (5) बिक्री के बाद स्वामित्व विलेखों की अभिरक्षा और (6) बिक्री के बाद संपत्ति से निपटने में संबंधित पक्षों का आचरण।

18. प्रश्न के निर्धारण को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत

हस्तांतरण बेनामी लेनदेन है या नहीं, इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः (1) यह दिखाने का बोझ कि स्थानांतरण एक बेनामी है

लेन-देन उस व्यक्ति पर होता है जो दावा करता है कि यह ऐसा है लेन-देन; (2) यह साबित होता है कि खरीद का पैसा एक से आया था

उस व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति जिसके पक्ष में संपत्ति है

हस्तांतरण, खरीद को प्रथम दृष्टया उस व्यक्ति के लाभ के लिए माना जाता है जिसने खरीद के पैसे की आपूर्ति की है, जब तक कि इसके विपरीत सबूत न हो; (3) खरीद का सही चरित्र

लेन-देन उस व्यक्ति के इरादे से नियंत्रित होता है जिसके पास है

क्रय राशि का योगदान किया और (4) यह प्रश्न कि उसका इरादा क्या था, आसपास की परिस्थितियों, पक्षों के संबंधों, लेन-देन करने में उनकी कार्रवाई को नियंत्रित करने वाले उद्देश्यों और उनके बाद के आधार पर तय किया जाना है।

आचरण, आदि "।
9.2 बिनापानी पॉल मामले (ऊपर) में, इस अदालत ने फिर से एक

बेनामी लेन-देन की प्रकृति पर विचार करने का अवसर। इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई फैसलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने उस फैसले में कहा और कहा कि धन का स्रोत कभी भी एकमात्र नहीं था।

विचार करें। यह केवल प्रासंगिक विचारों में से एक है लेकिन चरित्र में निर्धारक नहीं है। इस न्यायालय ने अंततः वल्लियम्मल बनाम के मामले में अपने पहले के फैसले पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला। सुब्रमण्यम (2004) 7 एस. सी. सी. 233 कि यह विचार करते हुए कि क्या कोई विशेष लेन-देन बेनामी प्रकृति का है, निम्नलिखित छह परिस्थितियों को एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जा सकता हैः

एसएमटी। पी. लीलावती (डी) बनाम एल. आर. एस. वी. शंकरनारायण राव (डी) एल. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

" (1) जिस स्रोत से खरीद का पैसा आया था;

(3) लेन-देन को बेनामी रंग देने का उद्देश्य, यदि कोई हो; (4) पक्षों की स्थिति और संबंध, यदि कोई हो, के बीच

दावेदार और कथित बेनामीदार;

(5) बिक्री के बाद स्वामित्व विलेखों की अभिरक्षा; और

(6) बिक्री के बाद प्रोपर्टी से निपटने में संबंधित पक्षों का आचरण। (जय दयाल पोद्दार बनाम। बीबी हाजरा (ऊपर), एस. सी. सी. पी. 7 , पैरा 6) "

10. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

हाथ में मामले के तथ्यों पर निर्णय, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर आया है कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि मुकदमे की संपत्तियों की खरीद-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) प्रतिवादी संख्या के नाम पर। 1 3 प्रकृति में बेनामी थे। यह सच है कि, सूट संपत्तियों की खरीद के समय-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) तक, कुछ वित्तीय सहायता स्वर्गीय जी. वेंकट राव द्वारा दी गई थी। हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में कहा गया है, लेनदेन को बेनामी प्रकृति का मानने के लिए यह एकमात्र निर्धारक कारक/परिस्थिति नहीं हो सकती है। वादी परिवार के लिए और उसकी ओर से वाद संपत्तियों को खरीदने के पिता के इरादे को स्थापित करने और साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिन्हें प्रतिवादी संख्या के नाम पर खरीदा गया था। 1 3 तक। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि, इस प्रकार, वादी की बेटी ने गवाह पेटी में कदम नहीं रखा है और वादी की ओर से सबूत उसके पति द्वारा दिया गया है, जिसे संयुक्त परिवार के संबंध में एक बाहरी व्यक्ति कहा जा सकता है। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड में आया है कि वादी और उसके पति का रखरखाव स्वर्गीय जी. वेंकट राव द्वारा किया गया था। बैंगलोर में आवासीय घर खरीदने के लिए वादी और उसके पति को वित्तीय सहायता भी दी गई थी। इसलिए स्वर्गीय जी. वेंकट राव ने अपनी बेटी को आश्रय प्रदान किया और जैसा कि ऊपर देखा गया है, बैंगलोर में आवासीय घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी दी। यह भी आया है

रिकॉर्ड करें कि स्वर्गीय जी. वेंकट राव ने शेयर प्रमाण पत्र भी खरीदे थे और उनकी बेटी-मूल वादी को भी निश्चित संख्या में शेयर दिए गए थे। इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, स्वर्गीय जी. वेंकट राव ने भी प्रतिवादी संख्या को वित्तीय सहायता दी होगी। 1 3 बेटों को दिया और [2019] 6 एस. सी. आर. खरीदने में उनकी मदद की।

संपत्तियाँ। इसलिए, स्वर्गीय जी. वेंकट राव का इरादा प्रतिवादी संख्या के नाम पर संपत्तियों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने का है। 1 3 को अपने और/या अपने परिवार के सदस्यों के लिए संपत्तियों की खरीद के लिए नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, वाद संपत्तियों की खरीद के लेनदेन-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) प्रतिवादी संख्या के नाम पर। 1 3 को प्रकृति में बेनामी नहीं कहा जा सकता है। स्वर्गीय जी. वेंकट राव का इरादा अपने बेटों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था, उससे आगे नहीं। लेन-देन को बेनामी लेनदेन के रूप में स्थापित करने के लिए अन्य सामग्री में से कोई भी संतुष्ट नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ वित्तीय सहायता स्वर्गीय जी. वेंकट राव द्वारा प्रदान की गई थी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए, मुकदमे की संपत्तियों की खरीद-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) प्रतिवादी संख्या के नाम पर। 1 3 को बेनामी लेनदेन नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, जैसा कि उचित रूप से देखा गया है और

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा आयोजित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, वादी को वाद संपत्तियों में एक चौथाई हिस्से का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है-वस्तु संख्या। I (a) से I (c) जो बेटों द्वारा उनके नाम पर अलग-अलग बिक्री विलेखों द्वारा खरीदे गए थे। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। 11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार है।

बर्खास्त कर दिया। कोई लागत नहीं।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान